न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक
(लोकेश कुमार गौतम, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्याः– 75/2016
प्रविष्टि दिनांकः– 06–06–2016

मोतीलाल पुत्र मोहनलाल जाति महाजन निवासी नासिरदा, देवली जिला टोंक राज0।
..... अपीलाण्ट

बनाम

नायब तहसीलदार नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
..... रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 12–01–2016 नायब तहसीलदार नासिरदा मि0नं0 607/2015 उनवानी सरकार बनाम मोतीलाल

उपस्थितः (1)श्री विक्रम जैन, अभिभाषक अपीलाण्ट
(2)श्री जुगनु शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय

दिनांक 30–06–2016

1. संक्षेप में अपील का सार इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार नासिरदा ने दि0 12.01.2016 को अपीलाण्ट को आराजी खसरा नम्बर 1143 गै0मु0 सडक के अतिक्रमी क्षेत्र से बेदखल किये जाने एवं लगान की 50 गुणा शास्ती 20/–रू0 कायम किये जाने का आदेश पारित किया है जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश को विधि विधान एवं तथ्यों के विपरित बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी जरिये नोटिस रेस्पोडेण्ट की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई तथा अपीलाण्ट के अभिभाषक द्वारा बहस न की जाकर शपथ पत्र इस बाबत का पेश किया कि विवादित भूमि पर उसको कोई कब्जा नहीं, भविष्य में उक्त भूमि पर कब्जा नहीं करूंगा तथा उक्त आराजीयात पर कोई निर्माण भी नहीं है। बहस अभि0 रेस्पोडेण्ट सुनी गई।

3. अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मेमो में अंकित किया है कि अपीलाण्ट ने किसी भी रास्ते की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा है। अपीलाण्ट अपना पटटेशुदा भूमि पर काबिज है। उक्त भूमि के संबंध में न्यायालय न्यायिक अधिकारी ग्राम न्यायालय देवली ने दीवानी वाद सं0 1/2012 उनवानी मोतीलाल बनाम ग्राम पंचायत नासिरदा में निर्णय पारित करते हुए यह आदेश दिये थे कि 'एतदद्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विरूद्व प्रतिवादीगण बाबत स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को सदा सर्वदा के लिए जरिये निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वह स्वयं जरिये एजेण्ट,

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

नोकर, रिश्तेदार वादी के कयशुदा कब्जेशुदा भूखण्ड में वादी के उपयोग व उपभोग व निर्माण कार्य करने में कोई व्यवधान कारित नहीं करें, वादी को बेदखल नहीं करे,निर्माण सामग्री नहीं हटावे।" उक्त निर्णय के उपरांत भी नायब तहसीलदार ने विधि विरूद्व तरीके से निर्णय पारित कर दिया। पटवारी ने कोई मौका रिपोर्ट प्रार्थी अपीलाण्ट की उपस्थिति में नहीं की एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भी उपस्थित नहीं हआ है। इसके विपरित एक मौका रिपोर्ट दिनांक 21.05.16 को तैयार की गई थी उक्त रिपोर्ट में रास्ते की भूमि के बाद अपीलाण्ट की पटटेशुदा भूमि का होना दर्शाया गया था, उक्त रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी देवली के समक्ष ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत की गई थी जिससे स्पष्ट है कि अपीलाण्ट ने कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा है। अपीलाण्ट को राजनैतिक दबाव में अपने पटटेशुदा भूमि पर निर्माण कार्य नहीं करने देना चाहते है और उक्त निर्णय की आड में भूमि से बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। ख0नं0 1164 आबादी भूमि है तथा ख0नं0 1164 के आस–पास की भूमि भी आबादी की है। ऐसी स्थिति में उक्त आबादी भूमि के संबंध में कार्यवाही करने का अधिकार मात्र ग्राम पंचायत को है। अधीनस्थ न्यायालय यने निर्ण्य पारित करने से पूर्व मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट नहीं मंगवाई और न मौके का निरीक्षण किया, अतिक्रमण बाबत कोई स्पीकिग आदेश जारी नहीं किया गया है। अपीलाण्ट को समुचित सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया है। इस कारण निर्णय विधि विरूद्व होने से नायब तहसीलदार नासिरदा का निर्णय निरस्त योग्य है।

4. रेस्पोडेण्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि विवादित भूमि आराजी खसरा नंबर 1143 गै0मु0 सडक पर अपीलाण्ट द्वारा नाजायज अतिक्रमण करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने बेदखली का निर्णय पारित किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट से भी साबित है कि अपीलाण्ट उक्त आराजी ख0नं0 में अनाधिकृत रूप से दुकान का पक्का निर्माण किया है। पटवारी हल्का की मौके की रिपोर्ट कि मुताबिक अतिक्रमी द्वारा उक्त किये गये अतिक्रमण को हटाकर भौतिक रूप से बेदखल किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का जो आदेश दिनांक 12.01.16 को पारित किया है वह नियमानुसार तथा विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषको की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पटवारी हल्का नासिरदा ने अपीलाण्ट द्वारा ख0नं0 1143 रकबा 0.41 गै0मु0 सडक पर अनाधिकृत रूप से दुकान का पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किये जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। जिसके आधार पर नायब तहसीलदार नासिरदा ने अपने निर्णय दिनांक 12.01.16 द्वारा अपीलाण्ट को विवादित भूमि से बेदखल करने, शास्ति कायम करने निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में माना है कि ख0नं01164 आबादी भूमि है व ख0नं0 1143 जो ख0नं0 1164 से सटवा है गै0मु0 सडक की भूमि है तथा ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि में ही आवण्टन पटटा जारी किया गया है और में न्यायालय न्यायिक अधिकारी ग्राम न्यायालय देवली द्वारा भी आवण्टित भूमि में निर्माण कार्य करने पर बाधा उत्पन्न नहीं हेतु ग्राम पंचायत को पाबन्द किया है। इससे जाहिर होता है कि अतिक्रमी ने उक्त आराजी ख0नं0 1143 पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है। चूंकि अपीलाण्ट द्वारा उक्त

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
दौसा

Scanned by CamScanner

विवादित भूमि पर कब्जा हटा लेने, भविष्य मे कब्जा नहीं करने व कोई निर्माण कार्य नहीं होने का शपथ पत्र पेश किया है।

6. फलतः राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार नासिरदा तहसील देवली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.01.16 से अपीलाण्ट को बेदखल किये जाने का निर्णय अपास्त किया जाता है, शेष निर्णय यथावत रहेगा। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र की छाया प्रति संलग्न कर नायब तहसीलदार नासिरदा को निर्देशित किया जाता है कि यदि अपीलाण्ट पुनः राजकीय भूमि पर कब्जा करता है तो सी0आर0पी0सी0 की धारा 182 के तहत कार्यवाही करें। प्रा0 पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

7. निर्णय आज दिनांक 30.06.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार गौतम)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner